राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

"Refresher Course for Police Inspectors"

Batch No. 03

दिनांक 19.06.2017 से 23.06.2017

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 19.06.2017 से 23.06.2017 तक **"Refresher Course for Police Inspectors"** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत, आई॰पी॰एस॰ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 26 पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री मिलिन्द अग्रवाल ने साइबर क्राईम एक्सपर्ट, इन्टरनेट-धोखाधड़ी साइबर अपराध, साइबर अपराधों का अनुसंधान एवं साइबर फोरेंसिक का परिचय देते हुए इनके कारण, कार्यप्रणाली और समाधान पर संगठित अपराधों के अनुसंधान में सैलफोन, इन्टरनेट, सी.डी.आर. विश्लेषण एवं कम्प्यूटर का किस प्रकार बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है, इस पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

तृतीय सत्र में डॉ. सुमन राव, एपीपी आरपीए ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। अंतिम सत्र में श्री कप्तान सिंह, पुलिस निरीक्षक आरपीए ने पुलिस के सामाजिक दायित्व (पुलिस एक्ट की धारा 30) वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, संबल योजना पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में श्री मुकेश चौधरी, साईबर क्राईम एक्सपर्ट ने साइबर अपराधों में साक्ष्यों का संकलन किस प्रकार किया जावे के संबंधों पर विस्तृत व्याख्यान देते हुए केस स्टडीज के माध्यम से उनसे निपटने के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। द्वितीय सत्र में श्री रमेश अरोड़ा ने अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री उमेश शर्मा, (सेवानिवृत) सेशन जज के द्वारा **Reason of acquittal and Suggestion for avoiding common mistakes** के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की । श्री धीरज वर्मा, पु.नि. ने किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं बाल श्रम एवं बाल तस्करी एवं पुलिस की भूमिका के सम्बन्ध में अपना व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. बत्रा, आरएएस (सेवानिवृत) ने जमीन व रेवेन्यू सम्बन्धी विवादों / प्रकरणों का अनुसंधान पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

तृतीय सत्र में श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया, सहायक निदेशक (सी.डी.पी.एस.एम.) ने महिलाओं के विरूद्ध अपराध- दहेज मृत्यु, हमला एवं बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम 2012 तथा इन अपराधों के अनुसंधान में ध्यान रखने योग्य बातें, विशेष प्रक्रिया एवं साक्ष्य अधिनियम में इन अपराधों से संबंधित उपधारणाऐं एवं विशेष प्रावधान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।

अन्तिम सत्र में श्री राजेन्द्र सिंह, पु.नि. ने संगठित अपराधों की रोकथाम एवं आभ्यासिक अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के कानूनी प्रावधान एवं निरोधात्मक कार्यवाहियां (Cr.P.C., N.S.A., Raj. PASA Act-2006, H.O. Act-1953) राज गुण्डा एक्ट, आर.पी.आर. 1965 एवं स्थानीय अधिनियम पर विस्तृत रूप से बताया।

चतुर्थ दिवस के प्रथम सत्र में श्री राजेश दुरेजा, पु.नि. एटीएस, जयपुर के द्वारा सीडीआर विश्लेषण के बारे में विस्तार से बताया। दूसरे सत्र में श्री एम.एम. अत्रे, आईपीएस, आईजीपी (सेवानिवृत) ने संगठित अपराध के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (स्पेशल कोर्स एवं सी.ओ.ई.) आर्थिक अपराध, प्रकार एवं सामान्य परिदृश्य, गृह निर्माण सहकारी समितियों व आवासीय योजनाओं द्वारा धोखाधड़ी, शेयर बाजार एवं एन.बी.एफ. कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

अन्तिम सत्र में डॉ. सुमन राव, एपीपी आरपीए ने महत्वपूर्ण कोर्ट रूलिंग (सर्वोच्च/उच्च न्यायालय) से सम्बन्धित केस स्टडीज के माध्यम से एवं निर्णयों के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

पंचम दिवस के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. शर्मा, अति. निदेशक, एफ.एस.एल. (सेवानिवृत) ने अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता, विशेषत: डी.एन.ए. परीक्षण, प्रादर्शों का परीक्षण, सील मुहर कर राय प्राप्त करने में ध्यान रखने योग्य बाते एवं विधि विज्ञान की सहायता कब कैसे ली जाएगी, विभिन्न घटनास्थलों से साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया एवं विशेषज्ञ से राय प्राप्त करने हेतु अग्रेषण पत्र का प्रारूप के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। तृतीय सत्र में श्री महेश कुमार, उ.नि. ने नवीनतम संशोधन भा.द.सं., द.प्र.सं., साक्ष्य अधिनियम के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रतिभागी श्री नागरमल कुमावत, पुलिस निरीक्षक, जिला अजमेर एवं श्री पारसराम, पुलिस निरीक्षक, जिला जीआरपी, जोधपुर ने अपने विचार व्यक्त किए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 23.0.2017 को 04.00 पी.एम. पर कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 01 में आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि महोदय श्री भगवान लाल सोनी, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसडीआरएफ), का स्वागत श्री दिलीप सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरपीए जयपुर द्वारा किया गया। श्री दिलीप सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से कोर्स रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया ।

मुख्य अतिथि महोदय के उदबोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरित किये गये। श्री रणवीर सिंह, पुलिस निरीक्षक (सहायक कोर्स निदेशक) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन व कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई ।

कोर्स डायरेक्टर
आर.पी.ए., जयपुर